

I/178509/2024

Hindustan Times-15th July -2024

ICSSR invites research proposals on JJM scheme

HT Correspondent

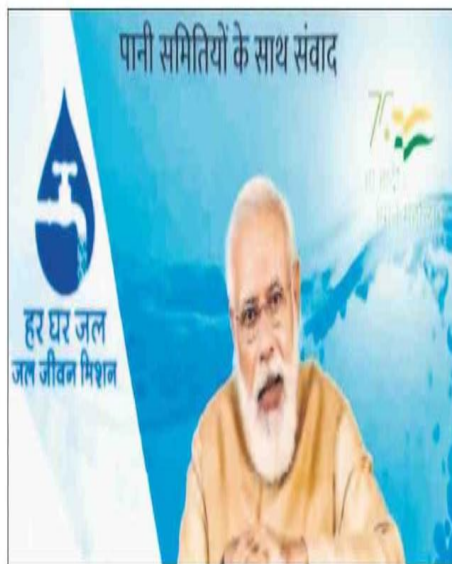
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Indian Council of Social Science Research has invited study proposals on the central government's Jal Jeevan Mission to assess the socioeconomic impact of the scheme to provide tap water in all rural households and analyse the challenges faced in its implementation.

The council, an autonomous body under the education ministry, has invited the proposals in line with the United Nations'

sustainable development goal that focuses on clean water and sanitation for all, which was adopted by India in 2015.

The idea is to evaluate the impact of mission on rural water access, quality and management, according to a notification issued by the council earlier this week. "The research will focus on evaluating the socioeconomic impact of the JJM on the beneficiary Indian households, identifying and analysing the challenges faced in the implementation and sustainability of JJM, and examin-



PM Modi launched the Jal Jeevan Mission on August 15, 2019. ANI

ing the role of community involvement, with a focus on gender and inclusivity, in the success of JJM," the council said. The state research institution

also aims to develop strategies to overcome identified challenges and boost the mission's effectiveness. Under the Jal Jeevan Mission, the government seeks to provide safe and adequate drinking water to all rural households through taps by 2024.

"The call for empirical research projects on the mission is to collect evidence-based, primary data-driven studies done on the Har Ghar Jal Yojana (water tap in every home scheme)," ICSSR member secretary Dhananjay Singh said.

I/178509/2024

Pioneer- 15th July -2024

कावेरी नदी मुद्दे ने पकड़ा तूल

कुमार चेल्लप्पन । चेन्नई

कावेरी नदी जल का मुद्दा एक बार फिर से तमिलनाडु में धान के कटोरे वाले क्षेत्र में कम समय में होने वाले कुरुवई फसल के समय सामने आ गया है। कावेरी जल विनियमन समिति (केडब्ल्यूआरसी) ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक सरकार से 12 जुलाई से 31 जुलाई तक तमिलनाडु को प्रतिदिन एक हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसीएफटी) पानी छोड़ने को कहा है ताकि तमिलनाडु के निचले तटवर्ती चार जिलों (तिरुवरुर, तंजावुर, नागपट्टिनम और तिरुचिरापल्ली) में कुरुवई खेती का काम शुरू किया जा सके। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ऊपरी तटवर्ती राज्य द्वारा 31 जुलाई से पहले तमिलनाडु को कोई भी पानी

संरचना की मरम्मत करना है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर सूची तैयार की जाएगी। पाधी ने बताया कि रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की तीन चाबियां उपलब्ध थीं जिनमें से एक गजपति महाराज के पास, दूसरी एसजेटीए के पास और तीसरी एक सेवक के पास थी। उन्होंने बताया कि आंतरिक कक्ष की चाबी गायब है, हालांकि उसे नई चाबी से खोलने के बाद सील कर दिया जाएगा तथा जिलाधिकारी की निगरानी में नई चाबी को जिला कोषागार में रखा जाएगा। रत्न भंडार में रखे गए कीमती सामान को ले जाने के लिए लकड़ी के छह संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों के अंदरूनी हिस्से में पीतल लगा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि सागवान की लकड़ी से बने ये संदूक 4.5 फुट लंबी, 2.5 फुट ऊंची और 2.5 फुट चौड़ी हैं। इन संदूकों को बानने वाले एक कारीगर ने बताया, मंदिर प्रशासन ने 12 जुलाई को उन्हें ऐसी 15 संदूक बनाने के लिए कहा था। 48 घंटे की मेहनत के बाद छह संदूक बनाईं थीं। सुबह न्यायमूर्ति रथ और पाधी ने गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों की पूजा-अर्चना की थी और इस कार्य के सुचारु रूप से पूरा होने की कामना की थी। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं फिलहाल गुंडिचा मंदिर में हैं, जहां उन्हें सात जुलाई को रथ यात्रा के दौरान ले जाया गया था। अगले सप्ताह बाहुदा यात्रा के दौरान उन्हें जगन्नाथ मंदिर में वापिस स्थापित किया जाएगा।

कावेरी नदी...

से इनकार किया। केडब्ल्यूआरसी के

निर्देश के तुरंत बाद सिद्धारमैया ने कहा, हालांकि कर्नाटक में सामान्य बारिश का अनुमान है, लेकिन कावेरी नदी बेसिन के सभी चार बांधों में जलप्रवाह में 28 फीसदी की कमी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार शाम को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि तमिलनाडु में किसान समुदाय इस मुद्दे पर आक्रोशित है। खबर लिखे जाने तक बैठक चल रही थी और कर्नाटक सरकार के सूत्रों ने द पायनियर को बताया कि राज्य केडब्ल्यूआरसी के निर्देश के खिलाफ कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क करेगा। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मीडियाकर्मीयों से कहा कि राज्य के पास कई मुद्दे हैं, जिन्हें सुलझाया जाना है, क्योंकि चार मुख्य जलाशयों में पानी की कमी है। शिवकुमार ने कहा, हमें मांड्या जिले में पानी की कमी को दूर करना है और राज्य में पीने के पानी की गंभीर कमी है। वर्तमान में कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को और पानी छोड़ने की संभावना कम ही दिखती है। तमिलनाडु में विपक्षी भाजपा और एआईएडीएमके ने राज्य में किसानों की समस्याओं के प्रति उदासीन रवैये के लिए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार की खिंचाई की है। कावेरी डेल्टा किसान कल्याण संघ की अरुपति कल्याणम ने द पायनियर को बताया कि कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी है, लेकिन राज्य राजनीति खेल रहा है। केडब्ल्यूआरसी की बैठक के दौरान, कर्नाटक ने कहा कि 1 जून से 9 जुलाई तक उसके चार जलाशयों में संचयी प्रवाह 41.651 टीएमसीएफटी था और कमी 28.71 फीसदी थी।

जल संसाधन विभाग संभालने वाले

शिवकुमार ने कहा कि राज्य के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। कर्नाटक के कड़ाकर नेता ने कहा, हमारे पास पानी नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक के पास अपने टैंक भरने के लिए भी पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के अनुसार कावेरी बेसिन के जलाशयों में प्रवाह कमजोर है।

फर्जी ई-नोटिस...

के तहत एक संगठन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने पिछले साल अगस्त में इसी तरह की एक सलाह जारी की थी, जिसमें लोगों को ऐसे नकली ईमेल के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, जो इसके सीईओ के नाम का इस्तेमाल करते हैं और जिनके विषय शीर्षक तत्काल अधिसूचना और न्यायालय अधिसूचना जैसे होते हैं। ये भ्रामक ईमेल विभिन्न सरकारी कार्यालयों, व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए भेजे जाते हैं और उन पर साइबर अपराधों का झूठा आरोप लगाते हैं, और उनसे जवाब देने का अनुरोध करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय सचिवालय में कई अधिकारियों को पिछले सप्ताह ऐसे संदिग्ध ईमेल मिले, जिनके बारे में झूठा दावा किया गया कि उन्हें एमईए मैसेजिंग टीम एनआईसी भारतीय उच्चायोग में काम करने वाले एक व्यक्ति ने जारी किया है। रविवार को जारी गृह मंत्रालय और आई4सी परामर्श में कहा गया है कि ऐसे संदिग्ध ईमेल और अन्य प्रकार के साइबर धोखाधड़ी की तुरंत 222.84.88.88.88.88.88.88.88.88 पर रिपोर्ट की जानी चाहिए या साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल किया जाना चाहिए।